राजस्थान सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांक: एफ.61(3)SSAAT/EC Meeting/2019/ जयपुर दिनांक:

कार्यकारी समिति (Executive Committee) की चतुर्थ बैठक दिनांक 06.09.2021 का कार्यवाही विवरण

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की कार्यकारी समिति (Executive Committee) की चतुर्थ बैठक श्रीमती अपर्णा अरोरा, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, सह चेयर परसन, कार्यकारी समिति, (EC), SSAAT की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2021 को अपरान्ह 4.30 बजे समिति कक्ष–2, मुख्य भवन, सचिवालय में आयोजित हुई जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण ने भाग लिया:–

क्र.सं	नाम अधिकारी	पद	EC में पद
1	श्रीमती अपर्णा अरोरा	प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि एवं पं.रा. विभाग	अध्यक्ष
2	श्रीमती मंजू राजपाल	शासन सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
3	डा0 कृष्णा कान्त पाठक	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
4	डॉ. पृथ्वी	शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग	सदस्य
5	डॉ. नीरज के. पवन	शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग	सदस्य
6	श्री अभिषेक भागोतिया	आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान	सदस्य
7	श्री सुरेश गुप्ता	अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (निदेशक के प्रतिनिधि)	प्रतिनिधि
8	श्री रामावतार शर्मा	निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)	सदस्य–सचिव
9	श्री सोहनलाल अग्रवाल .	उप निदेशक/लेखाधिकारी (प्रशासन), (SSAAT)	सदस्य

सर्वप्रथम निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा नव पदस्थापित चेयर परसन महोदया एवं अन्य समस्त माननीय सदस्यगण का स्वागत किया गया और सोसायटी के बारे में अब तक के क्रिया कलापों का प्रगति विवरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् कार्यकारी समिति में PPT के माध्यम से प्रस्तुतीकरण करते हुए एजेन्डा वार विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय किए गये:–

क्र.सं.	विवरण
4.1	**कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 25.11.2020 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि:–** कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 25.11.2020 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं विचार–विमर्श कर इसकी पुष्टि की गयी।

4.2	**कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 25.11.2020 के निर्णयों की पालना रिपोर्ट (Action Taken Report- ATR) का अवलोकन :–** कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 25.11.2020 के निर्णयों की पालना रिपोर्ट (Action Taken Report- ATR) का अवलोकन किया गया एवं पूर्ण सन्तोष व्यक्त किया गया।
4.3	**सोसायटी के वर्ष 2021–22 का बजट अनुमोदन :–** सोसायटी का वर्ष 2021–22 का बजट श्रीमान अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाकर जारी किया जा चुका है और इसी अनुरूप सोसायटी में कार्य सम्पादन हो रहा है। **अतः उक्त बजट दस्तावेज का कार्यकारी समिति द्वारा अवलोकन एवं विचार–विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**
4.4	**सोसायटी के वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के अंकेक्षण हेतु Chartered Accountant की नियुक्ति एवं मानदेय का अनुमोदन :–** सोसायटी के वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के अंकेक्षण हेतु नियन्त्रक महालेखापरीक्षक कार्यालय से एम्पेनल्ड सूची में से मै. भंसाली एण्ड कम्पनी, Chartered Accountant, जयपुर की नियुक्ति अंकेक्षक के बतौर किये जाने एवं इनका दोनों वर्षों का मानदेय (राशि रू. 40000/– एवं नियमानुसार GST) निर्धारण संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन श्रीमान अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी समिति द्वारा किया जाकर सोसायटी द्वारा उक्त वर्षों का अंकेक्षण कार्य सम्पादित करवा लिया गया है। **अतः इस बिन्दु पर विचार–विमर्श उपरान्त अंकेक्षक की नियुक्ति एवं इनको देय मानदेय का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**
4.5	**सोसायटी के वित्तीय वर्ष 2019–20 एव 2020–21 के वार्षिक लेखों का अवलोकन, अनुमोदन :–** सोसायटी के वित्तीय वर्ष 2019–20 एव 2020–21 के वार्षिक लेखों बाबत निदेशक (SSAAT) द्वारा विवरण प्रस्तुत किया गया जो विधिवत रूप से सोसायटी अधिकारियों एवं अंकेक्षक CA मै. भंसाली एण्ड कम्पनी, जयपुर द्वारा हस्ताक्षरित हैं। **उक्त दोनो वर्षों के वार्षिक लेखों के अवलोकन एवं विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से इन लेखों का अनुमोदन किया गया।**
4.6	**मै. भंसाली एण्ड कम्पनी, CA (अंकेक्षक), जयपुर द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 के लेखों की अंकेक्षण रिपोर्ट का अवलोकन एवं अनुमोदन :–** सोसायटी के वित्तीय वर्ष 2019–20 एव 2020–21 के वार्षिक लेखों की अंकेक्षक रिपोर्ट बाबत निदेशक (SSAAT) द्वारा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जो विधिवत रूप से सोसायटी अधिकारियों एवं अंकेक्षक CA मै. भंसाली एण्ड कम्पनी, जयपुर द्वारा हस्ताक्षरित हैं। उक्त दोनो वर्षों के वार्षिक लेखों पर नियन्त्रक एवं महालेखाकार कार्यालय के एम्पेनल्ड ऑडिटर द्वारा अंकेक्षण किया गया है जिसमें कोई गम्भीर अनियमितताएँ नहीं पाई गई हैं। **मै. भंसाली एण्ड कम्पनी, CA (अंकेक्षक), जयपुर द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 के लेखों की अंकेक्षण रिपोर्ट का कार्यकारी समिति द्वारा अवलोकन एवं विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से**

	अनुमोदन किया गया।
4.7	<u>सोसायटी की वेबसाईट एवं अन्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स/मॉड्यूल्स तैयार कराने के कार्यादेश का अवलोकन, अनुमोदन</u> :– सोसायटी की वेबसाईट एवं अन्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स/मॉड्यूल्स तैयार कराने के कार्यादेश संबंधित पत्रावली पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त मैसर्स बी0आर0 सोफ्टेक प्रा. लि., जयपुर को दिया गया था। इस संबंध में वेब–साइट एवं अन्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स बाबत निदेशक (SSAAT) एवं श्रीमान शासन सचिव, ग्रा.वि.वि. सह सदस्य सचिव, GB, SSAAT द्वारा विस्तृत प्रगति विवरण प्रस्तुत किया गया और यह अवगत करवाया गया कि वेब–साइट एवं चयन संबंधी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अन्तिम रूप से तैयार की जाकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में सिक्योरिटी ऑडिट हेतु विचाराधीन चल रहे हैं। सामाजिक अंकेक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रक्रियाधीन हैं। **कार्यकारी समिति द्वारा इस पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त इसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**
4.8	<u>सोसायटी (SSAAT) हेतु आई.टी. (कम्प्यूटर) शाखा के लिये अतिरिक्त पदों की स्वीकृति पर विचार</u> :– सोसायटी (SSAAT) द्वारा वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा (MG NREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G), स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G), 14वां/15वां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान (14th/15th CFC Grants), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम (NSAP) एवं डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM) योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण अनुमत है एवं आगामी समय में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-URBAN), स्वच्छ भारत मिशन–शहरी (SBM-URBAN), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), पोषाहार योजना (NUTRITION SCHEME) और मिड–डे मील (MID DAY MEAL) योजना आदि का सामाजिक अंकेक्षण प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। साथ ही सोसायटी को एक ग्रीन ऑफिस (Paperless Office) बनाए जाने की कार्ययोजना है। उपरोक्त सारे कार्य एवं ऑनलाईन सॉफ्टवेयर्स पर कार्य करने हेतु आई.टी. (कम्प्यूटर) शाखा के लिये अतिरिक्त पदों की आवश्यकता बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। **सम्पूर्ण कार्ययोजना पर विचार–विमर्श उपरान्त वर्तमान में उपलब्ध सूचना सहायक–एक एवं प्रोग्रामर–एक के अतिरिक्त सोसायटी में सहायक प्रोग्रामर के दो पद एवं सूचना सहायक के 4 पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को अनुमोदनार्थ भिजवाये जाने का निर्णय किया गया।**
4.9	<u>सोसायटी में सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी कार्यवाही का अवलोकन, अनुमोदन</u> :– इस संबंध में निदेशक (SSAAT) द्वारा सम्पूर्ण विवरण से कार्यकारी समिति को अवगत कराया गया। मुख्य रूप से तथ्यात्मक स्थिति यह है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निदेशों की पालना में राज्य स्तर पर राज्य संसाधन व्यक्तियों एवं जिला संसाधन व्यक्तियों के चयन कार्य हेतु चयन समिति का गठन श्रीमान मुख्य सचिव, सह अध्यक्ष, GB SSAAT के अनुमोदन अनुसार किया जा चुका है, चयन संबंधी विनियमों, आवेदन शुल्क एवं अन्य शर्तों का अनुमोदन सक्षम स्तर से किया जा चुका है। यह भी अवगत कराया गया कि

	सभी संसाधन व्यक्तियों का चयन निर्धारित लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट सूची के आधार पर होगा तथा मूल दस्तावेजों का प्रमाणीकरण राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय चयन समितियों द्वारा किया जावेगा। इस सेस संबंधित विनियमों को नरेगा वेबसाइट के माध्यम से आम जन को सुलभता से उपलब्ध कराये जा चुके हैं। चयन संबंधी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अन्तिम रूप से तैयार किया जाकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में सिक्योरिटी ऑडिट एवं अनुमोदन की प्रक्रिया में विचाराधीन है। इस विषय पर विचार–विमर्श के दौरान शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग एवं शासन सचिव, पं.रा.विभाग द्वारा अपने–अपने विचार अभिव्यक्ति के दौरान प्रस्ताव किया गया कि राजीविका योजना में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं एवं स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G) में कार्यरत स्वेच्छाग्राहियों को भी सामाजिक अंकेक्षण संसाधन व्यक्तियों के रूप में लिया जाना चाहिए ताकि विभिन्न योजनाओं में उनके अनुभवों का लाभ मिल सके और इन लोगों को भी आर्थिक संभल भी प्राप्त हो सके। **इस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि निदेशक स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण और मिशन निदेशक, राजीविका के साथ बैठक कर इन लोगों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किया जावे।** नव चयनित संसाधन व्यक्तियों की प्रशिक्षण व्यवस्था बाबत भी विचार–विमर्श किया गया। इस पर निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा अवगत कराया गया कि इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (IGRD&PRI), जयपुर और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्था (NIRDPR), हैदराबाद के माध्यम से इनका प्रशिक्षण करवाया जावेगा। इस हेतु इस संस्थानों से पत्राचार किया जा चुका है एवं इस बाबत कार्य योजना बनाई जा रही है। **उपरोक्त विषय पर विचार–विमर्श उपरान्त संतोष व्यक्त करते हुए शीघ्र चयन कार्यवाही संपादित कर प्रशिक्षण व्यवस्था कराने और विधिवत सामाजिक अंकेक्षण कराने के निर्देश चेयर परसन, EC, SSAAT महोदया द्वारा दिए गये।**
4.10	**<u>प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) एवं स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G) के अन्तर्गत निर्मित/स्वीकृत आवासों तथा शोचालयों का सामाजिक अंकेक्षण/भौतिक सत्यापन बाबत तथ्यात्मक स्थिति अवलोकन :–</u>** निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में निर्मित/स्वीकृत आवासों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा. विभाग के निर्देशानुसार एवं स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G) के अन्तर्गत निर्मित/स्वीकृत शोचालयों का शासी निकाय के निर्देशानुसार सामाजिक अंकेक्षण/भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इस हेतु श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, सह अध्यक्ष, EC, SSAAT के निर्णयानुसार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पंचायत समिति सांगानेर एवं पंचायत समिति झोटवाडा का चयन किया गया हैं। इस संबंध में तैयारियाँ कर ली गई हैं और शीघ्र ही इंदिरा गाँधी ग्रा.वि. एवं पं.रा. संस्थान जयपुर में प्रशिक्षण आयोजित करके यह कार्य सम्पादित कराए जाने की कार्ययोजना हैं जिसका अवलोकन एजेण्डा में किया जा सकता है। **विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.रा. द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रस्तावानुसार यह कार्य यथा शीघ्र सम्पादित**

	कराया जावे।
4.11	<u>सोसायटी द्वारा सम्पादित समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (CSA) की प्रगति का अवलोकन :–</u> निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा कार्यकारी समिति को अवगत कराया गया कि कोरोना महामारी के दौरान नियमित सामाजिक अंकेक्षण कार्य नहीं हो पाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (CSA) माह दिसम्बर, 2020 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि. के अनुमोदन अनुसार प्रारम्भ किया गया है। इसके उपरान्त समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (CSA) लगातार सोसायटी द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है, केवल माह मई, 2021 में कोरोना की द्वितीय लहर के कारण यह कार्यक्रम स्थगित रखा गया था। एक उल्लेखनीय उपलब्धी के रूप में निवेदन किया गया कि दिसम्बर, 2020 से अब तक लगभग सभी ग्राम पंचायतों के 3 दौर (Rounds) के समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (CSA) सम्पन्न करवाये जा चुके हैं। समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (CSA) की गुणवत्ता बाबत विचार–विमर्श में अध्यक्ष महोदया द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया और सभी अधिकारीगण की राय ली गई कि यह समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (CSA) कार्यवाही जारी रखी जावे अथवा बन्द कर दी जावे ? इस पर शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, GB, SSAAT द्वारा इसे बन्द करने का अभिमत व्यक्त किया गया। शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग एवं शासन सचिव, श्रम और नियोजन विभाग द्वारा समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (CSA) जारी रखने का अभिमत व्यक्त किया गया। निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा अवगत कराया गया कि समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (CSA)/नियमित सामाजिक अंकेक्षण के अभाव में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत धन राशि उपलब्ध नहीं कराने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में आगाह भी किया जा चुका है। अतः समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (CSA) कार्य बन्द करने पर विचार–विमर्श में इस तथ्य पर भी गौर किया जाना अपेक्षित है। यह भी अवगत कराया गया कि ज्यादातर CSA रिपोर्ट्स में कोई गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ उजागर नहीं हो पायी हैं तथापि कुछ मामलों मे गम्भीर अनियमितताएँ भी सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स मे प्राप्त हुई है और मशीनो द्वारा कार्य कराये जाने या अन्य गम्भीर आक्षेपों की रिपोर्टिंग करने वाले कतिपय अंकेक्षण दल सदस्यों के साथ स्थानीय सरपंचों, ग्राम सेवकों द्वारा अभद्रता या झगड़ा फसाद (Man handling) करने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, परन्तु इन पर जांच करने एवं कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण को भिजवाने पर इन प्रकरणों में कार्यवाही नगन्य रूप में हुई हैं। वर्तमान में सोसायटी के पास विधिवत चयनित एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध नहीं हैं और जो मानव संसाधन उपलब्ध हैं वे भी विकास अधिकारियों द्वारा ही नियोजित हैं। ऐसी व्यवस्थाओं में गम्भीर आक्षेपों का खुलासा होना बहुत दुष्कर कार्य है। अतः समाजिक अंकेक्षण कार्य करने वाले दलों की सुरक्षा की भी उपयुक्त व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है। निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि सोसायटी में स्वीकृत पदों पर अधिकारीगण का पदस्थापन नहीं हो पाने से

	कार्य सम्पादन सुव्यवस्थित होना संभव नहीं हो पाता है। इस पर शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया कि उपनिदेशक (वरिष्ठ लेखाधिकारी) के एक रिक्त पद एवं लेखाधिकारी के दो रिक्त पदों पर यथा शीघ्र उपयुक्त अधिकारी पदस्थापन हेतु शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग को वे व्यक्तिगत रूप से आग्रह कर कार्य समिति की भावनाओं से अवगत करायेंगे। **सम्पूर्ण प्रकरण पर विचार–विमर्श उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये:–** 1- **समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (CSA) जारी रखा जावे परन्तु सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित प्रकिया को सुव्यवस्थित करने हेतु उचित कदम उठाए जावें।** 2- **BRPs/VRPs सहित समस्त मानव संसाधन के प्रशिक्षण हेतु नवीन चयन उपरान्त कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।** 3- **समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण बाबत उपयुक्त प्रक्रिया (SOP)/गाईड लाइन्स बनाई जावें।** 4- **सामाजिक अंकेक्षण कार्य में सुधार हेतु सिविल सोसायटी सदस्यों के साथ विचार–विमर्श करने/सुझाव प्राप्त करने हेतु बैठकें/कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए।** 5- **नियमित सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने हेतु कोरोना काल में ग्राम संभाओ के आयोजन पर प्रतिबंध संबंधी आदेशों में छूट दिये जाने के प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को भिजवाये जावें।**
4.12	**स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) के साथ साथ इन योजनाओं के शहरी कार्यक्षेत्र में कियान्वित स्वच्छ भारत मिशन–शहरी (SBM-URBAN) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-URBAN) का भी सामाजिक अंकेक्षण कराने पर विचार :–** स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) के साथ साथ इन योजनाओं के शहरी कार्यक्षेत्र में कियान्वित स्वच्छ भारत मिशन–शहरी (SBM-URBAN) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-URBAN) के भी सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु शासन सचिव, ग्रा.वि.वि. सह सदस्य सचिव, GB, SSAAT के कक्ष में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठके आयोजित की जा चुकी है और उनके सचिव को आग्रह किया जा चुका है। **इस पर विचार विमर्श उपरान्त कार्यकारी समिति द्वारा उक्त योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का अनुमोदन किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी एवं स्वच्छ भारत मिशन–शहरी योजनाओं के बारे में संबंधित विभागों से पत्र व्यवहार किये जाने के भी निर्देश दिये।**
4.13	**अन्य योजनाओं यथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), महिला बाल विकास विभाग की पोषाहार वितरण योजना और शिक्षा विभाग की मिड–डे मील (MID DAY MEAL) योजना के सामाजिक अंकेक्षण पर विचार :–** निदेशक सामाजिक अंकेक्षण द्वारा इन योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने संबंधी प्रस्ताव बाबत अवगत कराया गया। विभिन्न नीवन योजनाओ के सामाजिक अंकेक्षण प्रारम्भ किये जाने के विषय पर चर्चा के दौरान धन राशि की उपलब्धता बाबत शासन सचिव, ग्रा.वि.वि. सह सदस्य

	सचिव, GB, SSAAT द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में 0.5 प्रतिशत तक राशि सामाजिक अंकेक्षण कार्यों पर व्यय करने हेतु उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं परन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पोषाहार एवं मिड–डे मील योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण कराने पर वित्त व्यवस्था किये जाने सम्बंधी स्पष्ट निर्देश नहीं है। इसके बावजूद भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा–28 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में प्रदत्त निर्देशों के प्रकाश में इन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है। इस सम्बंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों की शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग के कक्ष में बैठक उपरान्त संबंधित शासन सचिवगण को इस आशय के पत्र भी भेजे गये हैं। **विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) एवं महिला बाल विकास विभाग की पोषाहार वितरण योजना (Nutrition Programme) तथा शिक्षा विभाग की मिड–डे–मील (Mid Day Meal) योजना का सामाजिक अंकेक्षण करने के संबंधी प्रस्ताव का कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।**
4.14	<u>अन्य बिन्दु :–</u> कार्यकारी समिति के चेयर परसन महोदया की इजाजत से निम्नांकित विषयो पर टेबल एजेण्डा के रूप में विचार विमर्श किया गया:– <u>4.14.1 – मानव संसाधन का एकीकरण :–</u> (क) श्रीमान शासन सचिव, गा.वि. विभाग सह सदस्य सचिव, GB, SSAAT द्वारा अवगत कराया गया कि नरेगा योजना में कार्यरत लोकपालों, लोकपाल अपीलीय अधिकारियों और सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी (SSAAT) के स्वीकृत समस्त मानव संसाधन का एकीकरण कर एक प्रशसनिक व्यवस्था (Umbrella) स्थापित की जानी उचित होगी। इस विषय पर शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग द्वारा अपना अभिमत व्यक्त किया कि दोनों व्यवस्थाएँ स्वतंत्र एवं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पृथक–पृथक बनायी गई हैं, जिनका एकीकरण सम्पूर्ण कार्य व्यवस्था के लिये हानिकारक हो सकता है। इस बाबत शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मा. मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021–22 अनुसार Social & Performance Audit Authority के गठन की प्रक्रिया विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में कोई नवीन परिवर्तन किया जाना उचित नहीं होगा। **विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय किया गया कि फिलहाल मानव संसाधन एकीकरण बाबत यथा स्थिति बनाये रखी जावे।** <u>(ख) सोयायटी के स्टाफ के बैठने की समुचित व्यवस्था के संबंध में विचार :–</u> इस संबंध में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, GB, SSAAT द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान में सोसायटी के कार्यालय में स्टाफ के बैठक की समुचित व्यवस्था नहीं है। अतः सचिवालय स्थित पुस्तकालय भवन में द्वितीय/तृतीय मंजिल पर सोसायटी के स्टाफ के बैठने की व्यवस्था हेतु भवन आवंटन के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिख कर निवेदन किया जावे। **विचार विमर्श उपरान्त इस पर सहमति व्यक्त करते हुए कार्यालय के लिए स्थान आवंटन नहीं होने की स्थिति में प्रमुख शासन सचिव सह चेयर**

	परसन महोदया, EC, SSAAT द्वारा सोसायटी के लिए अलग से कार्यालय भवन किराये पर लिये जाने के निर्देश भी प्रदान किये गये। **(ग)** स्वयं सहायता समूहों में से योग्य व्यक्तियों को ग्राम संसाधन व्यक्तियों के रूप में प्रयोग करने बाबत बिन्दु पर **पूर्व निर्णय में सहमति अनुसार कार्यवाही की जानी है।** **(घ)** राजस्थान सम्पर्क एवं राजस्थान सरकार की हेल्पलाईन 181 में सामाजिक अंकेक्षण से जुडे बिन्दुओं के इंटीग्रेशन बाबत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय किया गया कि यह कार्य फिलहाल यथावत रखा जावे परन्तु **नरेगा हेल्पलाइन कार्मिकों की बैठक व्यवस्था अन्य योजनाओं के लिए कार्यरत लोगो के साथ ही पुस्ताकायलय भवन में की जावें क्योंकि यह लोग SSAAT के लिए आवंटित कक्ष में ही बैठ रहे है जबकि उक्त कक्ष में सामाजिक अंकेक्षण समिति के स्टॉफ के लिए स्थान अपर्याप्त रहता है।** **4.14.2 – सोसायटी के लिए सनदी लेखाकार (CA) की नियुक्ति के संबंध में विचार :–** कार्यकारी समिति में निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा आग्रह किया गया कि लेखा प्रक्रियाएँ तय करने, विभिन्न योजनाओं के लेखों को तैयार कराने, एक साथ सम्पादित कराये जा रहे सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिये अलग–अलग योजनाओं के हिस्से की व्यय राशि तय करने, उनके उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार कराने और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के निर्देशों, प्रावधानों की पालना कराने, लेखांकन नियमावली (Accounting Mannual) बनवाने एवं उक्त समस्त व्यवस्थाओं में सुयोग्य राय (Expert Advice) प्राप्त करने हेतु तथा नियमानुसार सोसायटी में लेखांकन व्यवस्था स्थापित कराना आवश्यक है। इस हेतु सोसायटी द्वारा एक सुयोग्य चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट (CA) की सेवायें एकल स्रोत (Single Source) आधार पर लिये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं। सोसायटी के लिए सनदी लेखाकार (CA) की नियुक्ति के संबंध में एकल प्रक्रम (Single Source) के माध्यम से उपापन संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय करने के संबंध में विचार किया गया। विचार विमर्श के दौरान शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग द्वारा बताया कि निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण को विभागाध्यक्ष के समकक्ष शक्तियाँ प्रदत्त हैं और विभागाध्यक्ष RTPP Act/ नियमों के तहत एकल प्रक्रम (Single Source) के माध्यम से उक्त सेवाएं लेने के लिए स्वयं सक्षम हैं। **अतः विचार विमर्श उपरान्त निर्देश प्रदान किये गये कि इस प्रकरण में कार्यकारी समिति के अनुमोदन की अपेक्षा नहीं है, निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण स्तर पर उपयुक्त कार्यवाही की जावे।**
	अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक (SSAAT)
एवं सदस्य–सचिव

क्रमांकः एफ.61(3)SSAAT/EC Meeting/2019/3367-8 जयपुर दिनांकः 10/09/21

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव, सह अध्यक्ष, शासी निकाय (G.B.), SSAAT
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि एवं पं. रा. विभाग सह चेयर परसन, कार्यकारी समिति (E.C.), SSAAT
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग को बजट घोषणा के क्रम में सूचनार्थ
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग सह सदस्य सचिव, GB, SSAAT
6. निजी सचिव, आयोजना विभाग को बजट घोषणा के क्रम में सूचनार्थ
7. निजी सचिव, शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग
8. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग
9. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान
10. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, जयपुर
11. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
12. उप निदेशक/लेखाधिकारी, (प्रशासन) SSAAT को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि बिन्दुवार समस्त निर्देशों की अविलम्ब पालना सुनिश्चित करावें।
13. लेखाधिकारी (सामाजिक अंकेक्षण), SSAAT को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि बिन्दुवार समस्त निर्देशों की अविलम्ब पालना सुनिश्चित करावें।
14. प्रोग्रामर, SSAAT को Websites पर अपलोड कराने एवं अन्य निर्देशों की पालना हेतु प्रेषित है।
15. समस्त सहायक लेखाधिकारी–प्रथम एवं द्वितीय/सूचना सहायक/कनिष्ठ लेखाकार/समस्त कर्मचारीगण, SSAAT को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।
16. रक्षित पत्रावली।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक (SSAAT)
एवं सदस्य–सचिव